सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 माघ, 1941 (श०)

संख्या- 98 राँची, शुक्रवार, 10 फरवरी, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

संकल्प

31 जनवरी, 2020

संख्या-5/आरोप-1-105/2018-710 (HRMS)-- श्रीमती दीपमाला, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच, गृह जिला-पलामू), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, हजारीबाग द्वारा श्री रविशंकर शुक्ला, भा0प्र0से0, उपायुक्त, हजारीबाग के विरूद्ध दिये गये खुला पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर के पत्रांक-32/गो0, दिनांक 22.08.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया श्रीमती दीपमाला द्वारा जिस भाषा एवं शब्दों का प्रयोग किया गया, वह एक प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए उचित नहीं कहा जा सकता है। समस्या होने पर वरीय पदाधिकारी से आग्रह करना या उन्हें संसूचित करने के स्थान पर सोशल मिडिया या अन्य स्थानों पर प्रचार स्वस्थ कार्य संस्कृति का परिचायक नहीं है।

प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक-6756, दिनांक 31.08.2018 द्वारा श्रीमती दीपमाला से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्रीमती दीपमाला के पत्र, दिनांक 15.10.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्रीमती दीपमाला से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-8762, दिनांक 03.12.2018 द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर

प्रमंडल, हजारीबाग से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के पत्रांक-64/सी0, दिनांक 31.01.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

प्रमंडलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभाग स्तर पर श्रीमती दीपमाला के विरूद्ध आरोप प्रपत्र-'क' गठित किया गया है, जिसमें इनके विरूद्ध कार्यालय कक्ष में उपस्थित नहीं रहने, बिना किसी पूर्व सूचना के आवास प्रस्थान करने, जिला सामान्य शाखा के प्रभारी के रूप में संचिकाओं में सरकारी आदेश/निदेश को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव नहीं देने, कार्यों में शिथिलता बरतने, अपने वरीय पदाधिकारी के संबंध में गलत भाषा एवं शब्दों का प्रयोग करते हुए सोशल मिडिया (Whatsapp) के माध्यम से दुष्प्रचार करने एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1) के प्रतिकूल है आचरण करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोप प्रपत्र-'क' पर विभागीय पत्रांक-3554, दिनांक 07.05.2019 द्वारा श्रीमती दीपमाला से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्रीमती दीपमाला के पत्र, दिनांक 06.11.2019 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा कहा गया कि दिनांक 05.08.2017 को आकस्मिक परिस्थिति के कारण उन्हें निर्धारित समय से पन्द्रह मिनट पहले कार्यालय छोड़ना पड़ा, क्योंकि वे पूर्व से ही Chronic menorrhagia and adenomysis के रोगी हैं। साथ ही इनके द्वारा यह भी कहा गया कि चिकित्सीय कारणों की वजह से depression में जाने एवं उनके पुत्र एवं स्वयं को viral fever से ग्रसित होने के कारण विशेष अवकाश पर चली गई, जिसके संबंध में उनके द्वारा उपायुक्त महोदय को आवेदन दिया गया था, किन्तु उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया। श्रीमती दीपमाला द्वारा माफी माँगते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृति न करने का उल्लेख किया गया।

अतः समीक्षोपरांत, श्रीमती दीपमाला, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, हजारीबाग के स्पष्टीकरण स्वीकार करते हुए इन्हें इस मामले में भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप से मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	DEEPMALA 110033226529	श्रीमती दीपमाला, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, हजारीबाग को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप से मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 98 -- 50